न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– दुर्गाशंकर मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 51 / 17

1 देवलाल आत्मज परसा जी, जाति बंजारा
2 सीता बाई पुत्री परसा जी, जाति बंजारा
निवासीगण ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2 नगर विकास न्यास, कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक : 03.04.2018

उपस्थिति : 1. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि वादी के पिता श्री परसा आत्मज मन्ना, जाति बंजारा को आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि पर विगत कई वर्षो से कब्जा होने के कारण उक्त भूमि का विधिवत आवंटन दिनांक 26.06.1972 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति, लाडपुरा द्वारा किया गया था, इसके पश्चात उक्त भूमि पर वादीगण के पिता के नाम इंतकाल नम्बर 42 दिनांक 31.08.1972 को उक्त आराजीयात गैर खातेदारी में भी दर्ज की गई थी। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि परसा जी के वारिसान के नाम इन्तकाल नम्बर 106 के आधार पर उनके वारिसान वादीगण के अलावा उनकी एक पुत्री अमरी बाई, जिसकी मृत्यु बिना शादी के ही हो गई थी और कस्तूरी बेवा परसा की मृत्यु भी हो चुकी है। परसा जी के वारिसान केवल वादीगण ही है और उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। वादीगण की भूमि का इन्तकाल नम्बर 126 दिनांक 04.02.1983 से वादीगण की खातेदारी में भी दर्ज हो चुकी थी और वादीगण को उक्त भूमि के सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का राज्य सरकार के आदेशानुसार सर्वे व सेटलमेन्ट संवत 2038–2057 (1981–2000) में किया गया, जिसमें उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा थे, जिनके हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर कायम किया गया और सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त पूर्व आवंटन जो वादी के नाम आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज की हुई भूमि को विलोपित करते हुये सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विधिवत व न्यायिक प्रक्रिया के तहत वादीगण को आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और पूर्व प्रविष्ठियों में परिवर्तन करते हुये नई प्रविष्ठियों का सृजन करने का सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नहीं होते हुये भी, उक्त भूमि जो वादीगण के पूर्वजो

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

को नियमानुसार आवंटित होकर गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात भी उक्त भूमि को सिवायचक करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त आवंटित भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने के बाद भी, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और बिना वादीगण को सुने प्रतिवादी क्रम 1 के खाते तथा बाद में उक्त भूमि संवत 2072 में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज की जा चुकी है। इसलिये उक्त वाद में दोनों पक्षकारों को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बनाया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में सिवायचक दर्ज होने के कारण उक्त भूमि की जमाबन्दी में प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर उसके खाते में दर्ज की गई है और उक्त आवंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर वादीगण वास्तविक तौर पर काबिज काश्त है और उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कब्जा करने व उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने के प्रयास में प्रयत्नशील है। उक्त भूमि वादीगण को वैध रूप से आवंटित हुई है और आवंटित भूमि बदस्तूर काबिज काश्त रहते हुये उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है और उक्त खातेदारी की भूमि से नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा वादीगण अवैध रूप से बेदखल करने के लिये आमादा है। वादीगण को यह अधिकार है कि वह अपनी आवंटित भूमि जो खातेदारी दर्ज की गई थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर में से रकबा 0.17 हैक्टर पर काबिज है। उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का अंकन दर्ज किये जाने के लिये वाद प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को वैध रूप से आवंटित भूमि आराजी गत खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर में से 0.17 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि को खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार साहब, लाडपुरा, कोटा को यथोचित निर्देशन देने की कृपा करें।

प्रकरण में बाद तामील प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर आराजी वाके ग्राम उम्मेदपुरा वर्तमान में नगर विकास न्यास के खाते दर्ज है किन्तु न्यास द्वारा वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने का प्रयास करना गलत होने से स्वीकार नहीं है। विवादित आराजीयात सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त लोक प्रयोजनार्थ श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा धारा 92 के तहत नगर विकास न्यास के खाते दर्ज की जा चुकी है इसलिये खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण को जिला कलक्टर महोदय, कोटा द्वारा धारा 92 के तहत सिवायचक भूमि को न्यास के खाते में दर्ज करने के आदेश को विधिवत चैलेन्ज करना चाहिये था किन्तु वादीगण द्वारा कानूनी प्रोविजन के तहत प्रोपर रेमेडी अवैल न कर उक्त वाद पेश किया है, जो कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। बाद जवाब दावा प्रकरण में तनकीयात कायम की गई तथा उभयपक्ष की ओर से साक्ष्य पेश होने पर जिरह पूर्ण की गई।

पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 58 के नये बने खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर में से, गत रकबा अनुसार, वर्तमान पद्यति में 0.17 हैक्टर उत्तरी दिशा की आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही वकील वादीगण द्वारा कथन किया कि राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये उक्त आवंटन भूमि तीन वर्ष के पश्चात स्वतः ही खातेदारी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
केशोरायपाटन (राज.)

अधिकार 1970 नियम 18 के तहत तहसीलदार का यह कर्तव्य है कि उस भूमि को खातेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिये, अगर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है। इसके समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1220, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 200, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 559 में उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि का भू राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है तो भी उसका इन्द्राज किया जाना आवश्यक है तथा सेटलमेन्ट विभाग को आवंटन भूमि का इन्द्राज वादी के नाम करना चाहिये था, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नहीं किया जाकर उक्त भूमि को सेटलमेन्ट विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नहीं है कि सेटलमेन्ट के पूर्व के इन्द्राज को विलोपित कर सके या उसमें रद्दोबदल कर सके। इसके समर्थन में आर.एल. डबल्यू 2006 (1) आर.जे. 290, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एच.सी., आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244 एच.सी., व 200 आर.आर. टी. 1993 पेज 44 प्रस्तुत है। उक्त नजीरों के आधार पर सेटलमेन्ट को बिना विधिक प्रक्रिया के या बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा परसा आत्मज मन्ना बंजारा को आवंटन उपरान्त इंतकाल नं. 126 अनुसार ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान खसरा नम्बर 151 की 0.21 हैक्टर में से उत्तरी दिशा की 0.14 हैक्टर आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी क्रम 2 के वकील की ओर से अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजीयात सिवायचक होने के उपरान्त लोक प्रयोजनार्थ श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा धारा 92 के तहत नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज की जा चुकी है और वर्तमान में खातेदार नगर विकास न्यास, कोटा है। अतः वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किया जावे।

हमने वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया। दौराने वाद प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

1. आया वाद ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी का आवंटन वादीगण के पिता परसा आत्मज मन्ना को किया गया जो नामान्तरकरण संख्या 42 की गैर खातेदारी में दर्ज की गई। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इसके समर्थन में वादीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 42 की प्रमाणित नकल पेश की गई है जिससे वादीगण के कथन की पुष्टि हो रही है। प्रदर्श–1 के अनुसार गत खसरा नम्बर 6 की 2 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 58 की 17 बिस्वा कुल किता 2 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 42 से वादीगण के पिता श्री परसा पुत्र मन्ना बंजारा के दर्ज किये जाने की स्वीकृति दर्ज रेकार्ड है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।
2. आया इन्तकाल नम्बर 126 दिनांक 04.02.1983 से उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश हो चुके थे। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इसके समर्थन में वादीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 126 की प्रमाणित नकल (प्रदर्श–4) पेश की गई है जिसमें वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज आराजी की खातेदारी स्वीकार की गई है तथा नामान्तरकरण पंजिका के कॉलम सं. 5 में दर्ज गैरखातेदार को कॉलम संख्या 11 में खातेदार दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 126 से आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था। साथ ही वादीगण द्वारा जमाबन्दी संवत 2030–2033 की नकल जमाबन्दी (प्रदर्श–3) भी पेश की गई है जो भी वादीगण के कथन का समर्थन करती है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।
3. आया संवत 2038–2057 (वर्ष 1981–2000) के दौरान किये गये सेटलमेन्ट में विवादित गत खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 कायम किया गया है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इसके समर्थन में वादीगण द्वारा ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा के गत खसरा नम्बर 58 मि. का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श–7) पेश की गई है जो वादीगण के कथन को प्रमाणित कर रही है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

4. आया वादीगण के खातेदारी की भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और बिना वादीगण को सुने प्रतिवादी क्रम 1 के खाते तथा तदुपरान्त प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज कर दिया। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इसके समर्थन में ग्राम उम्मेदपुरा के गत खसरा नम्बर 58 का मिलान क्षैत्रफल तथा खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057 एवं 2070–2073 पेश की गई है जिससे वादीगण के कथन की पुष्टि हो रही है जिससे यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।
5. आया हाल खसरा नम्बर 151 की 0.21 हैक्टर आराजी वाके ग्राम उम्मेदपुरा वर्तमान में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रकरण में यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये तथापि वादीगण की ओर से पेश की गई विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073 से प्रतिवादी क्रम 2 के कथन की पुष्टि हो रही है। अतः मुताबिक वर्तमान राजस्व अभिलेख यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।
6. आया वादीगण द्वारा कानूनी प्रोविजन के तहत प्रोपर रेमेडी अवैल न कर उक्त वाद पेश किया गया है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था। उनके द्वारा कथन के समर्थन में कोई अतरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रम 2 के गवाह द्वारा भी अपनी जिरह में प्रदर्श–1 लगायत 9 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही होना स्वीकार किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 2 के विरूद्ध तय की जाती है।
7. अनुतोष ? इस तनकी के अर्न्तगत वादीगण द्वारा उनकी खातेदारी में दर्ज गत खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा के रकबा अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 151 की आराजी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का अतुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर वाद वादीगण निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण का उनके गुणावगुण के आधार पर समस्त विवेचन के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा का आवंटन वादीगण के पिता परसा पुत्र मन्ना बंजारा को किया गया, जो जर्ये नामांतरकरण वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई। दस्तावेजात के अवलोकन से जैसा कि प्रतिवादी क्रम 2 के गवाह द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 9 राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 58 रकबा 17 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादीगण आज भी उसी अनुरूप वर्तमान पद्यति अनुसार 0.17 हैक्टर आराजी अपने खाते दर्ज कराये जाने का अधिकारी है। ज्ञातव्य है कि वादीगण के खाते गत खसरा नम्बर 58 की 17 बिस्वा आराजी दर्ज रेकार्ड थी। उक्त 17 बिस्वा रकबा के वर्तमान पद्यति की गणनानुसार वास्तविक रूप से 0.14 हैक्टर ही बनते है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर आराजी में से 0.14 हैक्टर आराजी का वादी क्रम 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 151 की उत्तर दिशा की 0.14 हैक्टर आराजी को नगर विकास न्यास, कोटा के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 151 की शेष आराजी (0.21 - 0.14 =) 0.07 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03 अप्रेल, 2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/4/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

Devlal.Sarkar.51/17

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1 देवलाल आत्मज परसा जी, जाति बंजारा
2 सीता बाई पुत्री परसा जी, जाति बंजारा
निवासीगण ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2 नगर विकास न्यास, कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 51/17
निर्णय दिनांक : 03-04-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री राजेन्द्र वर्मा तथा प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से प्रतिवादी अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 03–04–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 151 रकबा 0.21 हैक्टर आराजी में से 0.14 हैक्टर आराजी का वादीक्रम 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 151 की उत्तर दिशा की 0.14 हैक्टर आराजी को नगर विकास न्यास, कोटा के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 151 की शेष आराजी (0.21 - 0.14 =) 0.07 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 03.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

3/4/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		